-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना पैलानी पुलिस द्वारा युवक को कटर से हमला कर घायल करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कटर बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों कि गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.11.2026 को थाना पैलीनी पुलिस द्वारा युवक को चाकू से हमला कर घायल करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 04.11.2026 को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकला के रहने वाले रामबाबू द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 04.11.2026 को थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम खप्टिहाकलॉ के ही रहने वाले शिवम व प्रयांशु द्वारा उनका भाई जो रणछोड़दास इंटर कॉलेज का छात्र है, कॉलेज में परीक्षा देने गया था। इसी दौरान गांव के ही शिवम एवं प्रियांशु द्वारा आपसी रंजिश को लेकर उसके साथ मारपीट करते हुए कटर मारकर घायल कर दिया था। सूचना प्राप्त होते ही थाना पैलानी पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों शिवम एवं प्रयांशु को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कटर बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शिवम पुत्र दीपू निवासी ग्राम खप्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा।
2. प्रयांशु पुत्र राजू निवासी ग्राम खप्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 234/26 धारा 109/352 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण प्रताप सिंह
2. हे0कां0 धीरेन्द्र सिंह
3. हे0कां0 अनिल कुमार